न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–354/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00354)

1. बोदू पुत्र महराम (मृतक) जरिए वारिसान–:
   1/1 श्योजीराम पुत्र बोदू (मृतक) जरिए वारिसानः–
   1/1/1 सरजूदेवी पत्नि श्योजीराम
   1/1/2 जगनसिंह पुत्री श्योजीराम
   1/1/3 भूरी पुत्री श्योजीराम
   1/1/4 रामप्यारी पुत्री श्योजीराम
   1/1/5 गीता पुत्री श्योजीराम
   1/1/6 ममता पुत्री श्योजीराम
   1/1/7 संतोष पुत्री श्योजीराम
   1/2 छीतर पुत्र बोदू
   1/3 रामलाल पुत्र बोदू
   1/4 बद्री पुत्र बोदू (फौत)
   1/5 रामचंद्र पुत्र बोदू
2. घासी पुत्र सुबा

जाति जाट निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रवण पुत्र रामकरण, जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला ,जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू राजस्व वाद संख्या 18/1997.

उपस्थितः–

1. श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री पुष्पेंद्र सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः–05.07.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1859, 1860, 1851, 2259, 2285, 2295, 2312 कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मोखमपुरा एवं खतौनी संख्या 67 की आराजी खसरा नम्बर 2626, 2627, 2641, 2642, 2649, 2650 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी संख्या 60 की आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 2 बीघा, खतौनी संख्या 78 की आराजी खसरा सख्या 2829, 2830, 2836, 2839, 2840, 2841 कुल रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा 79 की आराजी खसरा नम्बर 2643 वाकै ग्राम कडवा का बास तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भोलू कम उम्र में फौत हो गया था। बाकी तीनों भाईयों के नाम 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.1.1999 पारित कर दी किंतु पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा नहीं हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन भी किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर विवाद का निस्तारण नहीं हुआ है क्योंकि राजीनामें में खसरा नम्बर 1951 बाबत राजीनामा तस्दीक किया गया जबकि मूल वाद में खसरा नम्बर 1951 के बजाय 1851 लिख दिया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1851 बाबत डिक्री पारित कर दी गई जबकि उक्त खसरा नम्बर 1851 से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2292 बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ जबकि मूल वाद में खसरा नम्बर है ही नहीं। उक्त राजीनामें में कही भी अंकित नहीं किया गया कि कौन से खसरे वादी के हिस्से में रहेंगे एवं मूल वाद में खतौनी संख्या 135 की आराजी अंकित की गई उसमें सम्पूर्ण आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा है जिससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान बाबत पक्षकारान में विवाद था जिसकी भी दुरूस्ती नहीं हो पाई अर्थात उक्त डिक्री बाबत पक्षकरान में कही पर भी राजीनामे के आधार पर सहमति नहीं बनी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया किंतु उपरोक्त राजीनामे से पक्षकारों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ एवं उपरोक्त डिक्री में कई त्रुटियां रह गई एवं प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किंतु उनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा चाराजोही कर दी गई किंतु वर्तमान में विपक्षी द्वारा दिनांक 11.9.2019 को आराजीयात का बेचान कर दिया गया एवं खरीददार मौके पर आकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने लगे तब प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से विधिक सलाह प्राप्त की तो अधिवक्ता ने सलाह दी कि उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए तो प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है चूंकि उपरोक्त निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है। ऐसे आदेश

के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में मियाद का बिंदु बाधक नहीं है इसलिए उपरोक्त अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावे। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजीनामे बाबत खसरा नम्बर 1551 बाबत राजीनामा तस्दीक किया गया किंतु मूल वाद में खसरा नम्बर 1851 लिख दिया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1851 बाबत वाद डिक्री कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बर से अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट का कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर बाबत कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है इसलिए भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे में खसरा नम्बर 2292 बाबत राजीनामा हुआ जबकि मूल वाद में उपरोक्त खसरा नम्बर लिखा ही नही गया तो उक्त खसरा नम्बर राजीनामे में अंकित नही किया जा सकता था तथा साथ में मूल वाद में खतौनी संख्या 135 की आराजीयात अंकित की गई उसमें सम्पूर्ण आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर बाबत ही पक्षकारान में विवाद था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना नहीं हो सकती एवं पक्षकारान के मध्य अभी भी विवाद शेष है इसलिए उपरोक्त राजीनामा निरस्त किया जाकर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया था एवं राजीनामें के अनुसार पक्षकारान में अलग–अलग खसरा नम्बर बांट दिए गए किंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद केवल मात्र घोषणा का था इसलिए तकासमे बाबत निर्णय नहीं किया जा सकता जबकि पक्षकरों में राजीनामें के अनुसार अपने हिस्से की आराजी बांट ली थी। राजीनामे के आधार पर पक्षकारों में राजीनामा भी हो गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद घोषणात्मक डिक्री किया गया है एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटस के भी राजीनामे अनुसार विधिक अधिकार तय कर दिए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री में रह गई परिलक्षित भूलों का अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्टतया प्रमाणित कर दिया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या 135 की आराजी खसरा नम्बर 1859, 1860, 1851, 2259, 2285, 2295, 2312 कुल किता 7 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी संख्या 166 की आराजीयात खसरा नम्बर 2257 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मौखमपुरा एवं आराजी खतौनी संख्या 67 की आराजी खसरा नम्बर 2625, 2627, 2641, 2642, 2649, 2650 कुल किता 6 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा खतौनी संख्या 69 की आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 2 बीघा 78 की आराजी कुल किता 6 रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा 79 की आराजी खसरा नम्बर 2643 रकबा 4 बिस्वा वाकै ग्राम कडवोकावास तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक सजरा खानदान के संयुक्त मुश्तहक खानदान के सदस्य है जिससे वादीगण के तीन भाई सुवा, भोलु एवं रामकरण थे जो कि भोलू कम उम्र में ही फौत हो गया था, जिससे तीन भाई बोदू, सुवा, रामकरण बच्चे एवं सुवा की फौत होने पर उसका लड़का प्रतिवादी संख्या 02 घासी एवं रामकरण के फौत होने पर श्रवण वादी हुआ, इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनका प्रत्येक का 1/3, 1/3,1/3 हिस्सा है और इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 जो कि कर्ता खानदान होने से अपने भाईयों को मुगालता देकर उक्त आराजीयात खतौनी संख्या 135 में सम्पूर्ण हिस्सा, 166, में 1/2 हिस्सा खतौनी संख्या 67 की आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा 69 की आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा 78 की आराजी में 1/5 हिस्सा, 79 की आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि विवादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 के उक्त दर्ज हिस्से में वादी का 1/3 हिस्सा, 1/3 प्रतिवादी संख्या 01 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है और इसी अनुसार मौके पर काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 न अपने अपने हिस्से की आराजीयात में काफी पैसा खर्च कर काफी विकसित कर लिया है जिससे अभी हाल ही में दिनांक 20.1.1997 को जब अपनी सावण फसल अपने हिस्से की देखरेख करने गया तो प्रतिवादी संख्या 01 विवादग्रस्त आराजी पर आया एवं आकर आराजीयात अपने नाम होने एवं आराजी का विक्रय करने की ऐलानिया धमकी दी जिस पर गांव के व्यक्तियों ने एवं वादी ने काफी समझाईश की लेकिन वह नहीं माना और अपने नाम आराजी होने का फायदा उठाकर आराजी की दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुंतकिल आदि कर बेदखल किए जाने की ऐलानिया धमकी दी जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पेश किया जाना आवश्यक हुआ। विवादग्रस्त आराजी संयुक्त मुश्तका की आराजी है जिस पर वादी काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 02 भी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है इसलिए इतने दिन पूर्व आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 के नाम होने की जानकारी नहीं हुई वादी अपने हिस्से पर मुतबातिर रूप से अपने पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिससे वैसे भी वादी को अपनी आराजीयात में 1/3 हिस्सा हक पाने का अधिकारी है।प्रतिवादी अपने मंसूबें में कायमाब होकर आराजीयात से बेदखल आदि कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। विवादित आराजीयात का दिनांक 20.01.1997 को विक्रय कर बेदखल किये जाने की ऐलानी धमकी दिये जाने के कारण वाद करण उत्पन्न हुआ। वाद स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित पैरा संख्या 01 आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 के दर्ज हिस्से (बोदू) में से वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इस आशय से तहरीर तहसीलदार, दूदू को फरमाई जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 जरिये स्थायी निषेधाषा से पाबंद फरमाया जावें, वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या0 1 अपने नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दर्ज हिस्से में से वादी 1/3 हिस्से से ना स्वयं बेदखल करें ना अन्य से करावें, ना ही आराजीयात को रहन, बय व मुन्तकिल करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर, वाद पत्र में उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा उक्त राजीनामा को तस्दीक भी किया जा चुका है,जो एडामेटेड फेक्ट हैं। शहादत वादी के गवाहान के बयानों में भी राजीनामे की पुष्टी हुई हैं तथा राजीनामें के अनुसार वाद को विधिवत रूप से डिक्री किया गया है। मान्नीय राजस्व मण्डल के समक्ष भी अपीलांट ने निगरानी संख्या टीए/4763/2019/जयपुर बउनवान सरजू देवी बनाम श्रवण पेश की गई, जिसमें भी अपील में उठाये गये उज्र को भी निगरानी में भी अनुतोष बाबत् यह कहते हुए पेश की गई कि खसरा संख्या 1951 के बजाय 1851 लिखा गया जबकि खसरा नम्बर 1851 का दावा ही नहीं था इस प्रकार खसरा नम्बर 2292 पक्षकारान के नाम दर्ज था जो दावें में लिखने से रह गया और राजीनामें में खसरा नम्बर 2292 आ गये जिसे संशोधित किया जावें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी को भी मान्नीय मण्डल ने दिनांक 19.07.2022 को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री की पुष्ठी भी मान्नीय मण्डल द्वारा की गई हैं। इस प्रकार से अपीलांट/प्रार्थी को माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी अपने उक्त आदेश दिनांक 19.07.2022 के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष प्रदान नही किया गया है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हमं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांटस का अपील में यह तर्क है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1859, 1860, 1851, 2259, 2285, 2295, 2312 कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मोखमपुरा एवं खतौनी संख्या 67 की आराजी खसरा नम्बर 2626, 2627, 2641, 2642, 2649, 2650 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी संख्या 60 की आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 2 बीघा, खतौनी संख्या 78 की आराजी खसरा सख्या 2829, 2830, 2836, 2839, 2840, 2841 कुल रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा 79 की आराजी खसरा नम्बर 2643 वाकै ग्राम कडवा का बास तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भोलू कम उम्र में फौत हो गया था। बाकी तीनों भाईयों के नाम 1/3–1/3 हिस्सा बनता है अधीनस्थ न्यायालयं के समक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.1.1999 पारित कर दी

किंतु पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा नहीं हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन भी किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर विवाद का निस्तारण नहीं हुआ है क्योंकि राजीनामें में खसरा नम्बर 1951 बाबत राजीनामा तस्दीक किया गया जबकि मूल वाद में खसरा नम्बर 1951 के बजाय 1851 लिख दिया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1851 बाबत डिक्री पारित कर दी गई जबकि उक्त खसरा नम्बर 1851 से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2292 बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ जबकि मूल वाद में खसरा नम्बर है ही नहीं। उक्त राजीनामें में कही भी अंकित नहीं किया गया कि कौन से खसरे वादी के हिस्से में रहेंगे एवं मूल वाद में खतौनी संख्या 135 की आराजी अंकित की गई उसमें सम्पूर्ण आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा है जिससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान बाबत पक्षकारान में विवाद था जिसकी भी दुरूस्ती नहीं हो पाई अर्थात उक्त डिक्री बाबत पक्षकरान में कही पर भी राजीनामे के आधार पर सहमति नहीं बनी, किन्तु हमारे द्वारा अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें खसरा संख्या वादग्रस्त अराजीयात एवं खसरा नम्बर 1951 का राजीनामा किये जाने बाबत स्पष्ट उल्लेख है, तथा वाद पत्र में सहवन से खसरा नम्बर 1851 टंकित हो गया, तथा खसरा नम्बर 1851 जो कि किसी अन्य के नाम दर्ज है जिसका अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस से कोई सरोकार नही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1951 खसरा नम्बर बाबत सही निर्णय पारित किया है। तथा अपीलांट का तर्क है कि खसरा नम्बर 2292 जिसका कोई विवाद नही था, राजीनामा हुआ है लेकिन मूल वाद में नही लिखा गया है **इस संबध में आदेश 23 नियम (3 जा0दी0 के तहत पक्षकार के मध्य वाद के निपटारें के लिए वाद को विषय वस्तु के बाहर भी राजीनामा किया जा सकता है और वह राजीनामा विधिअनुसार है तो राजीनामा किया जा सकता** है। जब राजीनामें में दोनो ही पक्षकारों द्वारा सहमति प्रदान कर राजीनामा किया गया है, स्वयं स्वीकृति से बडा कोई साक्ष्य नही हो सकता है, जहां तक सहवन से टंकण की त्रुटि का प्रश्न है इस संबंध में 99 सी0पी0सी0 में स्पष्ट उल्लेख है कि **कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न उलटी जायेगी और ना ही उपातंरित की जायेगी।** इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2007 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक निगरानी संख्या टीए/4763/2019/जयपुर बउनवान सरजू देवी बनाम श्रवण पेश की गई, जिसे माननीय मंडल द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.07.2022 के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की उक्त निगरानी को भी निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट को भी माननीय मंडल द्वारा भी कोई अनुतोष प्रदान नही किया गया है। इस प्रकार से अपीलांट द्वारा अपनी अपील में उठाये गये उज्र सारहीन है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त दस्वावेजों तथा सहमति पत्र का अवलोकन करने के उपरांत ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.1999 को सहमति से पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण उक्त अपील निरस्त योग्य प्रतीत होती है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा

प्रकरण संख्या 18/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.1999 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गयां ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner